

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:-ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर  
प्र0सू0रि0संख्या 65/22 दिनांक 28/02/2022
2. (1) अधिनियम-भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....धारायें - 7  
(2) अधिनियम- ..... धारायें -  
(3) अधिनियम..... धारायें -  
(4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 606 समय 7:30 Pm  
(ब) अपराध घटने का दिन ... रविवार..दिनांक.....27.02.2022...समय 01.00 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की .....दिनांक.....23.02.2022...समय 09.45 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक - हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थल:-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब पूर्व दक्षिण व 50 किलोमीटर  
(ब) पता:- थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।  
जरायम देही संख्या.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना - थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम:- श्री चन्द्रप्रकाश  
(ब) पिता का नाम - श्री भंवर लाल सैनी  
(स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 38 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता.- भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....  
जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय- डी0जे0 साउंड  
(ल) पता- खेडारसूलपुर थाना कैथून जिला कोटा, राजस्थान।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
(1) श्री रामरतन पुत्र धन्नालाल उम्र 57 साल जाति खटीक निवासी ढीबरी चम्बल थाना  
खातौली जिला कोटा हाल निवास एच-18 सरकारी क्वाटर पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण  
हाल सहायक उप निरीक्षक थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:-..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....50000/- रुपये.व ब्लेक चैक.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगाये) :-

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.02.2022 समय 09:45 ए.एम. पर श्री भारत सिंह पुत्र श्री बनेसिंह सोलंकी उम्र 40 साल जाति राजपूत निवासी म0न0 109 डी0सी0एम0 रोड थाना उधोगनगर कोटा एक हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस हर्षराज सिंह खरेडा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के समक्ष उपस्थित आया व बताया कि यह प्रार्थना पत्र श्री चन्द्रप्रकाश सैनी निवासी खेडारसूलपुर की तरफ से लेकर आया हूँ। उक्त चन्द्रप्रकाश विकलांग व्यक्ति है जिसकी आज तबीयत ठीक नहीं होने से वह नहीं आ पाया है बाद में उसकी आवश्यकता होगी तो वह आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेगा। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र चन्द्रप्रकाश सैनी पुत्र भंवर लाल सैनी निवासी खेडारसूलपुर की तरफ से हस्तलिखित है। सहपरिवादी श्री भारत सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र चन्द्रप्रकाश द्वारा स्वयं का हस्तलिखित व हस्ताक्षरशुदा होना बताया। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि प्रार्थी खेडा रसूलपुर कोटा का निवासी है। मेरे पिताजी श्री भंवर लाल जी ने वर्ष 2011 में शिवप्रसाद उर्फ शिवजी पुत्र श्री धन्नालाल धाकड निवासी आवां तहसील कनवास जिला कोटा व उसके भाईयों से आवां गांव में दलाल के मार्फत जमीन खरीदी थी तथा रजिस्ट्री मेरे पिता जी के नाम करा दी थी शिवप्रसाद उर्फ शिवजी के अलावा उसके अन्य भाई बन्दो की जमीन का नामान्तरण मेरे पिता जी के नाम खुल गया है लेकिन शिवप्रसाद की जमीन की रजिस्ट्री होने के नामान्तरण नहीं खुला क्योंकि जमीन का सौदा कराने वाले दलाल की मृत्यु हो गई। मैंने व

तथा मेरे मित्र श्री भारत सिंह निवासी कोटा ने कई बार शिवप्रसाद को नामान्तरण

बाबजू  
मेरे पिताजी